उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-511/ग्यारह-2-21-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(178)-2021

लखनऊः दिनांकः 02 जून, 2021

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उप धारा (1) और धारा 15 की उप धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, अधिसूचना सं0-क0नि0-2-836/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(06)-2017, दिनांक 30 जून, 2017, में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं , अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, -

(क) अनुसूची एक - 2.5% में, क्रम संख्या 259क के समक्ष , स्तम्भ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि "9503" रख दी जायेगी;

(ख) अनुसूची एक के पश्चात , सूची 1 में, क्रम संख्या 230 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित को बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(231). डायथाइलकार्बामाज़िन".

3. यह अधिसूचना दिनांक 2 जून, 2021 से प्रवृत्त होगी ।

आज्ञा से,

(संजीव मित्तल)
अपर मुख्य सचिव